श्रीमान अति. न्या.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बीकानेर

(न्यायालय परिसर के सामने, नया ए.डी.आर. भवन, सदर थाना रोड़)

संपर्क :– 8306002108, ई.मेल– dlsa8bikaner@gmail.com

क्रमांक :– जि.वि.से.प्रा.बी / पी0एल0वी0 / 2024 / 01 दिनांक :– 24/01/24

–::विज्ञप्ति सूचना::–

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्र क्रमांक एफ2( )रालसा / डीएस–प्रथम / 26081–26111 दिनांक 13.09.2019 तथा पत्रांक 33022–33057 दिनांक 12.10.2020 में वर्णित दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स के पदों पर भर्ती करने हेतु निम्न पंचायत समिति / तालुका हेतु उनके आगे वर्णित कॉलम में दी गई पदों की संख्या हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है:–

क्र.स	पंचायत समिति / तालुका का नाम	पदों की संख्या
1	बीकानेर	5
2	खाजूवाला	2
3	नोखा	3
4	पांचू	2
5	लूणकरणसर	3
6	कोलायत	3
7	श्रीडूंगरगढ़	3

नोटः– आवेदक जिस पंचायत समिति हेतु आवेदन करना चाहता है, वहां का स्थानीय निवासी होना चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता :– आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

1. **आवेदन पत्र** :– इस पद हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
2. **परीक्षा** :– चयन हेतु कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। आवेदकों का चयन करने के लिये साक्षात्कार लिया जाएगा। चयन पश्चात् वॉलेन्टीयर्स को माननीय रालसा से निर्देश प्राप्त होने पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में सफल घोषित किये जाने के पश्चात उन्हे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा।
3. **चरित्र** :– आवेदक द्वारा ऐसे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिये।
4. **शारीरिक योग्यता** :– आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।
5. **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे** :–

   1. जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति।
   2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रति।
   3. दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
   4. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
   5. जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

   (नोट– उपरोक्त प्रमाण पत्र की प्रतिया स्वयं् द्वारा प्रमाणित होगी)

6. **आवेदन की अंतिम तिथि** :– आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 12.02.2024 को सांय 4.30 बजे तक जमा करवाया जा सकता है। तालुका विधिक सेवा समिति (नोखा, ,खाजुवाला, श्रीडूंगरगढ, कोलायत, लुणकरणसर) के आवेदनकर्ता तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय पर भी आवेदन जमा करवा सकते है। तथा पं.स. पांचू के अभ्यर्थी

तालुका नोखा में आवेदन जमा करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। **आवेदन करने की अन्तिम तिथी के पश्चात् साक्षात्कार योग्य अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 16.02.2024 को दोपहर 4 बजे तक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। साक्षात्कार दिनांक 19.02.2024 को सुबह 11:30 बजे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर में ही लिये जाएंगे। अभ्यर्थी को आने जाने हेतु कोई किराया भत्ता देय नहीं होगा।**

7. **पात्रता** :– पी.एल.वी. चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिये बीकानेर स्थित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बुलाया जायेगा। निम्नाकिंत व्यक्ति भी पी.एल.वी. चयन हेतु आवेदन कर सकते है, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी:–
सेवा निवृत अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डब्ल्यू, छात्र व अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, डाक्टर/फिजिशियन, छात्र व विधि छात्र (जब तक वे लायर (वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन.जी.ओ. क्लब, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका व्यवहार अच्छा हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे।

चयनित पी.एल.वी.के कर्त्तव्य (ड्यूटी) :

1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
2. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत, मध्यस्थता एवं राजीनामे के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
3. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित या मौखिक रूप से अवगत कराना।
4. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 57–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत् जानकारी देना।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग, अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हे विधिक अधिकारों से अवगत कराना। बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वॉयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
6. विवादों का निस्तारण प्री–लिटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
7. पी.एल.वी द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
8. पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई, लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्टल एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विधुत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते है।

9. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध करायी गयी सामग्री को प्रचार –प्रसार करना।

10. **स्पष्टीकरण** :– यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में पी.एल.वी. के कार्य करने हेतु इच्छुक अंकित करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस स्थान अर्थात् तालुका स्तर पर पी. एल.वी. का कार्य करना चाहता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पी. एल.वी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर द्वारा समय समय पर दिये गये कार्य हेतु नियत मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।

नोट :– आवेदनकर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करें।

-sd-

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बीकानेर

क्रमांक :– 330-337 दिनांक :– 24/01/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर।
3. अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, कोलायत, नोखा, श्रीडुंगरगढ, खाजुवाला, लूणकरणसर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर।
5. उपखण्ड मजिस्ट्रेट ,नोखा, श्रीडुंगरगढ, खाजुवाला, पांचू, कोलायत, लुणकरणसर।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नोखा, श्री डूंगरगढ, खाजूवाला, पांचू, कोलायत, लुणकरणसर।
7. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, बीकानेर।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बीकानेर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बीकानेर

(न्यायालय परिसर के सामने, नया ए.डी.आर. भवन, सदर थाना रोड़)

संपर्क :– 8306002108, ई.मेल– dlsa8bikaner@gmail.com

पैरा लीगल वॉलटीयर्स (पी.एल.वी) के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

1.	नाम आवेदक	:	
2.	पिता / पति का नाम	:	
3.	आवेदक के पति / पत्नि का नाम (यदि अविवाहित हो तो) (यदि आवेदक अविवाहित हो तो स्पष्ट ''अविवाहित'' लिखे)	:	
4.	जाति	:	
5.	संवर्ग–सामान्य / अजा / अजजा / अपिवर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो वो लिखें)	:	
6.	स्थायी पता मय दूरभाष / मोबाईल नम्बर	:	
7.	वर्तमान पता	:	
8.	निकटतम पुलिस स्टेशन	:	
9.	जन्म तिथि (अंकों में)	:	
	शब्दों में		
10.	शैक्षणिक योग्यता	:	
11.	यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत हुए	:	
12.	आवेदक के विरूद्व कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण	:	
13.	राष्ट्रीयता	:	
14.	आवेदक जिस पंचायत समिति में कार्य करना चाहता है उस पंचायत समिति का नाम	:	
15.	आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, NGO किसी विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण	:	

मैं...सत्यापित करता / करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है। मैंने विज्ञप्ति के बिन्दु सं 5 में अंकित प्रलेख आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये है।

दिनांक......................... **(आवेदक के हस्ताक्षर)**